



उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद,
राज्य परियोजना कार्यालय,
तपोवन मार्ग, ननूरखेडा, रायपुर, देहरादून।

Website: <http://ssa.uk.gov.in>/Email - spd-ssa-uk@nic.in
☎/Fax No: (0135) 2781941, 2781942 Toll Free No. 1800-180 4132

पुस्तकालय हेतु पुस्तकों के चयन एवं आपूर्ति सम्बन्धी दिशा निर्देश

भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2024-25 में पुस्तकालय मद के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में माध्यमिक स्तर (Secondary & Sr. Secondary) में पुस्तकालय विकास हेतु पुस्तकों के चयन एवं आपूर्ति हेतु NCERT, NBT, CIIL, IB, साहित्य अकादमी (State /SCERT Publication) तथा निजी प्रकाशकों से पुस्तकों के नमूने कैटलॉग सहित निम्नलिखित दिशा-निर्देशों एवं शर्तों के साथ आमन्त्रित किये जाते हैं –

1. उत्तराखण्ड राज्य के शासकीय माध्यमिक (कक्षा-09 से 10) एवं उच्च माध्यमिक (कक्षा-11 से 12) विद्यालयों के पुस्तकालयों के लिए छात्रोपयोगी एवं ज्ञानवर्धक पुस्तकें क्रय की जानी है। (पाठ्य-पुस्तकों को छोड़कर)
2. पुस्तकें उत्तराखण्ड के स्थानीय साहित्य, कला, लोककथा त्यौहार, परम्पराएं, भौगोलिक परिदृश्य, लोकगीत एवं स्थानीय/क्षेत्रीय/मातृ/जनजातीय भाषा से सम्बन्धित होंगी।
3. पुस्तकों के नमूने निःशुल्क Catalogue के साथ में ही मान्य होगी।
4. पुस्तक वितरकों को प्रकाशक/फर्म केवल उसी स्थिति में पुस्तक के नमूने देंगे जब उन्हें अधिकृत किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र दिया गया हो तथा यह प्रमाण पत्र राज्य परियोजना कार्यालय को स्वघोषक के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।
5. उपलब्ध करायी गयी पुस्तकें अनिवार्यतः संवैधानिक मूल्यों, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता, सद्भाव, नैतिक मूल्यों, महापुरुषों की कहानियों, भारतीय संस्कृति विरासत, खेल, कला, संगीत, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं जल संरक्षण, आदि पर आधारित होनी चाहिए।
6. छात्रों के लिए प्रस्तुत पुस्तकों में ऐसा कोई भी शब्द या वाक्य नहीं होना चाहिए जो किसी जाति, धर्म या सम्प्रदाय विशेष की भावनाओं को आहत करे एवं बच्चों के मनःस्थिति तथा चरित्र पर विपरीत प्रभाव डाले।
7. पुस्तकों की विषयवस्तु विवादास्पद न हो, पुस्तक सरल एवं आसान भाषा में लिखी गयी हो किन्तु पाठ्य वस्तु गुणवत्तापूर्ण हो, आकर्षक एवं साफ-सुथरे रूप में मुद्रित हो एवं रुचिपूर्ण और शिक्षाप्रद होना चाहिए।
8. पुस्तकें उपन्यास, स्टोरी बुक्स, विभिन्न महान हस्तियों की ऑटोबायोग्राफी, पंचतंत्र, स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, कला, खेल के नियमों से सम्बन्धित, पर्यावरण एवं जल संरक्षण, वैश्विक परिदृश्य एवं एटलस, नागरिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था आधारित, संगीत एवं कला की होनी चाहिए।
9. पुस्तकें अनिवार्यतः 12 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयोगी हो।
10. पाठ्य पुस्तक, सन्दर्भ पुस्तक, परीक्षा से सम्बन्धित पुस्तकों एवं 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए अनुपयोगी पुस्तकों का चयन नहीं किया जायेगा।

11. प्रकाशकों द्वारा उपलब्ध करायी गयी पुस्तकों के नमूने अनिवार्य रूप से Catalogue में भी अंकित होनी चाहिए, अन्यथा की स्थिति में ऐसी पुस्तकों को चयन से बाहर कर दिया जायेगा।
12. सूची पत्र में प्रत्येक प्रस्तावित पुस्तक/पत्रिका का आई0एस0बी0एन0 का उल्लेख होना आवश्यक है।
13. लेखक द्वारा सीधे उपलब्ध करायी गयी पुस्तकें चयन में सम्मिलित नहीं करायी जायेगी।
14. प्रकाशकों द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले पुस्तकों के नमूनों की आपूर्ति के लिए सम्बन्धित प्रकाशक को किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
15. पुस्तक नमूने उपलब्ध कराने में विलम्ब होने पर या उपलब्ध कराये जाने से पूर्व क्षतिग्रस्त होने पर या गुम हो जाने की स्थिति में सम्बन्धित प्रकाशक/पुस्तक वितरक स्वयं उत्तरदायी होगा।
16. प्रकाशक/पुस्तक वितरक द्वारा यदि गलत तथ्यों के साथ पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती हैं तो इसके लिए सम्बन्धित प्रकाशक/पुस्तक वितरक पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
17. पुस्तकों का चयन राज्य स्तर पर गठित समिति के माध्यम से किया जायेगा।
18. पुस्तकों के चयन का निर्णय पूर्णतः विभाग के पास सुरक्षित रहेगा तथा इस सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की पृच्छा/पत्र व्यवहार का उत्तर नहीं दिया जायेगा।
19. किसी भी प्रकाशक/पुस्तक वितरक द्वारा पुस्तकों के चयन सम्बन्धी कार्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा। किसी भी प्रकाशक/पुस्तक वितरक द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है तो सम्बन्धित की पुस्तकों को चयन से बाहर कर दिया जायेगा एवं भविष्य के लिए सम्बन्धित प्रकाशक एवं वितरक को प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा।
20. पुस्तक नमूने उपलब्ध कराये जाने के लिए प्रत्येक फर्म को पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। जिसके लिए उन्हें राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा पंजीकरण नम्बर भी आवंटित किया जायेगा।
21. प्रकाशक/पुस्तक वितरकों से रु0 500.00 (पांच सौ रुपये मात्र) पंजीकरण शुल्क (Non Refundable) डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में लिया जायेगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट राज्य परियोजना निदेशक एसएसए के पक्ष में तैयार कर उपलब्ध कराना होगा।
22. पंजीकरण हेतु प्रकाशकों/वितरकों के द्वारा पृथक से पंजीकरण नहीं किया जाना है। अपितु नमूना प्रति उपलब्ध कराये जाने की तिथि या नमूना प्रति प्राप्त होने की तिथि को पंजीकरण सम्बन्धित स्थल पर किया जायेगा।
23. पुस्तक नमूनों के साथ Catalogue हस्ताक्षर सहित एवं प्रत्येक सेट के ऊपर प्रकाशक का नाम, पता, फोन नं0/मोबाइल नं0 एवं जमा की गयी कुल पुस्तकों की संख्या बोल्ट अक्षर में लिखा होना चाहिए।
24. प्रकाशक/पुस्तक वितरकों के द्वारा नमूना प्रति के साथ आवश्यक अभिलेख (प्रकाशक/पुस्तक वितरक होने की पुष्टि के लिए समक्ष अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र, केटलॉग, पंजीकरण संख्या आदि) भी उपलब्ध कराये जायेंगे।
25. प्रकाशक/पुस्तक वितरकों के द्वारा 04 पुस्तकों से अधिक संख्या में पुस्तक नमूने कदापि प्राप्त नहीं किये जायेंगे। 04 पुस्तकों से अधिक पुस्तकों को पंजीकरण में शामिल नहीं किया जायेगा, साथ ही पुस्तकों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा।

26. किसी भी प्रकाशक द्वारा यदि राजकीय प्रकाशक होने का दावा किया जाता है तो इस हेतु सक्षम स्तर से प्रदत्त प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। अन्यथा उसे निजी प्रकाशक की श्रेणी में रखा जायेगा।
27. निजी प्रकाशकों की पुस्तकों का चयन उत्तराखण्ड राज्य के लिए उपयोगी एवं स्थानीय भाषा के परिपेक्ष्य में ही किया जायेगा।
28. प्रकाशक/पुस्तक वितरकों के द्वारा उपलब्ध कराये गये पुस्तक नमूनों को किसी भी दशा में वापिस नहीं किया जायेगा और न ही इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार या अनुरोध स्वीकार किया जायेगा। उपलब्ध कराये गये पुस्तक नमूनों को राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड की सम्पत्ति समझा जायेगा।
29. पुस्तकों का वर्गीकरण विद्यार्थियों के आयु समूह को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। कक्षा-09वीं से 12वीं तक के पुस्तकों को मैना श्रेणी के नाम से जाना जायेगा।
30. चयनित सभी पुस्तकों के कवर पेज पर मैना लोगो मुद्रित किया जायेगा अथवा स्टीकर लगाया जायेगा इसके साथ ही समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड एवं जिस वर्ष पुस्तक क्रय किया गया है उस वर्ष (वर्ष 2024-25) के साथ Only Government Supply, Not for Sale अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। लोगो भारत सरकार के वेबसाइट https://Indianschoollibraryassociationonline.files.wordpress.com/2020/05/lib_grants.pdf से डाउनलोड किया जाय अन्य लोगो मान्य नहीं होंगे।
31. पुस्तक नमूने विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दिनांक 12 सितम्बर 2024 अपराहन 5:00 बजे तक अनिवार्यतः राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग, नालापानी, देहरादून के सभागार में उपलब्ध हो जानी चाहिए, उसके बाद प्राप्त पुस्तकों पर विचार नहीं किया जायेगा।
32. पुस्तक नमूने प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे के मध्य किसी भी कार्यदिवस में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग, नालापानी, देहरादून के सभागार में उपलब्ध करायी जा सकती है। निर्धारित तिथि तक डाक द्वारा प्राप्त पुस्तकें भी स्वीकार्य होंगी।
33. पुस्तक नमूने उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु मो0 नं0- 9897993571, 7900833206 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

(डॉ0 मुकुल कुमार सती)

अपर राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड।